उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर
आर.बी.ई.सं. 66/2012
दिनांक 11/6/2012

संख्याः– 65-E/0/ Rly Qrt

RB E No- 66/2012

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक– **जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर**
मुख्य कारखाना प्रबंधक– **अजमेर, जोधपुर, बीकानेर**
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक– **अजमेर, जोधपुर**
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/**निर्माण– जयपुर**
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.–**जयपुर**
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.– **जयपुर**
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.– **जयपुर**
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड– **अजमेर**
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान– **उदयपुर**
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र– **जोधपुर**
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.– **जयपुर**
सहायक सचिव/गोपनीय – महाप्रबंधक प्रका.– **जयपुर**
मुख्य खजांची रोकड एंव वेतन विभाग प्रका.– **जयपुर**
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.– **जयपुर.**

विषय :– Retention of Railway Quarter by Railway officers/ staff Posted to ECR and NWR

संदर्भ :– Railway Bd LNo. E(G) 2009 QR1-2 dt. 24/5/2012

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 24/5/2012 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एंव सूचनार्थे प्रेषित की जा रही है।

सलंग्न– यथोक्त।

(आर.के.शर्मा)
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपिः–

7.	महासचिव– एनडब्ल्यूआरईयू	15 प्रतियाँ।
8.	महासचिव– यूपीआरएमएस	15 प्रतियाँ।
9.	महासचिव– एससी/एसटी एसो.	15 प्रतियाँ।
10.	महासचिव– ओबीसी एसो.	05 प्रतियाँ।
11.	महासचिव– पदोन्नत अधिकारी एसो.	05 प्रतियाँ।

RBE No. 66 /2012

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)
MINISTRY OF RAILWAYS (RAIL MANTRALAYA)
RAILWAY BOARD

NO.E (G) 2009 QR1-2 **New Delhi, Date: 24 -05-2012**

The General Managers,
All Indian Railways/Production Units,
(*As per standard list*).

Sub: Retention of railway quarter by Railway officers/Staff posted to ECR and NWR.

Ref: Board's letter of even number dated 13-07-2011

The issue of permitting the Railway Officers/Staff posted in the ECR and NWR to retain Railway Quarters at their previous places of posting beyond 31-03-2012 was under consideration of Board.

In exercise of its powers to make reasonable relaxations in public interest for a class/group of employees, in all or any of the existing provisions regarding house allotment/retention, the Board has decided **that permission for retention of Railway accommodation at the previous place of posting in favour of officers/staff posted to ECR and NWR be further continued till 31-03-2013. It has also been decided by the Board that the retention of 08 months (02 months on normal rent & 06 months on special license fee) granted in cases of normal transfer, is also applicable beyond the date up to which the special relaxation is granted.**

2. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Please acknowledge receipt.

(P.P.Sharma)
Executive Director Estt.(Gen.)

NO:E(G) 2009 QR 1-2 **New Delhi, Dated:24.05.2012**

Copy (with 46 spares) to Dy. Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhavan, New Delhi.

For Financial Commissioner/Railways.

Contd. in Page 2/-

आर बी ई सं. 66 /2012

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAY)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

सं. ई (जी) 2009 क्यूआर 1-2 नई दिल्ली, दिनांक 24-05-2012

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां,
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे पर तैनात रेल अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रेलवे क्वार्टर अपने पास बनाए रखना.

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 13.7.2011 का समसंख्यक पत्र.

पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे पर तैनात रेल अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी तैनाती के पूर्ववर्ती स्थान पर आबंटित रेलवे क्वार्टर को 31.03.2012 के बाद भी अपने पास रखने की अनुमति देने का मामला बोर्ड के विचाराधीन था.

आवास के आबंटन/उसे अपने पास रखने से संबंधित सभी अथवा किसी प्रावधान में कर्मचारियों की एक श्रेणी/वर्ग के लिए जनहित में उपयुक्त छूट प्रदान करने के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड ने विनिश्चय किया है कि पूर्व मध्य रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में तैनाती के पूर्ववर्ती स्थान पर रेलवे आवास को अपने पास रखने की अनुमति आगे 31.03.2013 तक जारी रखी जाए. बोर्ड द्वारा यह भी विनिश्चय किया गया है कि सामान्य स्थानान्तरण के मामले में 08 महीने तक आवास को अपने पास रखने (02 महीने सामान्य किराए पर और 06 महीने विशेष लाइसेंस शुल्क पर) की छूट भी उस तारीख, जब तक के लिए विशेष छूट प्रदान की गई है, के बाद भी लागू होगी.

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है.

3. कृपया पावती दें.

(पी. पी. शर्मा)
कार्यपालक निदेशक, स्थापना (सामान्य)

सं.ई (जी)2009 क्यूआर 1-2 नई दिल्ली, दिनांक 24.05.2012

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं.224, रेल भवन, नई दिल्ली.(46 अतिरिक्त प्रतियों सहित)